दुग्ध प्रसंस्करण

3272. श्री गोविन्दराव आदिक:
श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे:
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दुग्ध प्रसंस्करण संबंधी सुविधाओं के स्तर में सुधार करने की काफी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) से (ग) देश में दुग्ध प्रसंस्करण सुविधाओं के स्तर में सुधार लाने की काफी गुंजाइश है। नई औद्योगिक नीति के तहत, दुग्ध उत्पादनों के विनिर्माण के लिए इकाइयां स्थापित करने के उद्देश्य से किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। उद्यमियों को दुग्ध उत्पादों का विनिर्माण करने वाली इकाइयों की स्थापना करने से पहले अथवा मौजूदा इकाइयों का विस्तार करने के लिए उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.ई.एम.) प्रस्तुत करना होता है। दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने के उद्देश्य से सरकार ने 9 जून, 1992 को दूध और दुग्ध उत्पाद आदेश नामक एक आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत 10,000 लीटर प्रतिदिन से अधिक मात्रा में दूध की क्षमता वाले अथवा 500 मी.टन से अधिक ठोस दुग्ध उत्पादनों की क्षमता रखने वाले प्रत्येक इकाई को रजिस्ट्रेशन, प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है। दुग्ध और दुग्ध उत्पाद ओदश, 1992 के तहत दुग्ध और दुग्ध उत्पाद उद्योग के विस्तार सहित इकाइयों की स्थापना हेतु अब तक 148 रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें 10,000 लीटर से 75,000 लीटर दूध, प्रतिदिन का रख-रखाव करने की क्षमता के लिए आवेदन करने वाली इकाइयों को रजिस्टर करती हैं।

Relocation of Earthquake Prone Villages

3273. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Government of Karnataka had requested for relocation of 48 earthquake prone villages in the districts of Bijapur and Gulbarga and asked for an assistance of Rs. 93.50 crores;

(b) if so, what action has been taken with regard to their request;

(c) whether funds have been sanctioned for relocation of earthquake prone villages in Maharashtra and the number of villages to be relocated in Maharashtra;

(d) what is the amount given to Maharashtra for the above purpose; and

(e) whether Government will consider the Karnataka Government's request on the lines of Maharashtra Government's request?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) Government of Karnataka has prepared and submitted to Government of India, for seeking assistance from the World Bank, a Project proposal for relocation of 48 villages and construction of earthquake resistant houses at a cost of Rs. 93.541 crores.

(c) and (d) Government of Maharashtra has launched a Programme to rehabilitate the victims of the earthquake of September 1993 at a cost of Rs. 1086.98 crores. The Programme is being assisted by a credit of US $ 246 million from International Development Association and contributions from Government of Maharashtra, Government of India and donor agencies. Apart from relocation of 49 totally destroyed villages, the Programme also envisages reconstruction of damaged houses; infrastructure development; social economic and community rehabilitation in the affected areas.

(b) and (e) Government of Karnataka has been requested to make some modifications in the project proposal. After these modifications are made, the proposal will be